न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/11/2019

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री विश्वम्भर लाल R.A.S.(R) नि0 298/5 सेक्टर–3 विद्याधर नगर, जयपुर राज0।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 16–04–2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 05.06.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा0पत्र दिनांक 05.06.2018 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी (स्थापन) कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक 6195 दिनांक 03.07.2018 से सूचना प्राप्त होने पर पत्रांक 1721 दिनांक 04.07.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है, प्रस्तुत अपील के संबंध में लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 638 दिनांक 10.04.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 03.07.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 637 दिनांक 10.04.19 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 16.04.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर